निर्णय अज अदालत अभिलाषा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

मु0नं0 118/13 निर्णय दिनांकः–18.12.2020

1. दुलिया पुत्र शीशपाल जाती मेघवाल निवासी पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज)। मृतक।

1/1 रामा पत्नि दुलिया

1/2 सूरत सिंह पुत्र दुलिया

1/3 विधाधर पुत्र दुलिया

1/4 प्रेमचन्द पुत्र दुलिया

समस्त जातियान मेघवाल निवासीगण पिपली तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज)।

––वादीगण

बनाम

1. बलबीर पुत्र नन्दलाल जाति जाट दत्तक पुत्र श्रीमती सिनगारी बेवा हरजी कोम मेघवंशी साकिन दूदी तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज)।
2. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर सूरजगढ़ तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं (राज)।

––––––प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता

वादीगण – श्री हजारीलाल सूनियॉं

दावा राजस्व रिकार्ड दुरस्ती घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में तथ्य वाद इस प्रकार है कि विवादित भूमि खसरा न0 332 रकबा 8 बीघा 14 बिस्वा व हाल खसरा न0 236 रकबा 2.20 है0 वाके ग्राम पिपली स्थित है वादीगण की पैतृक सम्पति है । उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागु होने से पूर्व मिसल हकियत मकबूजा ठिकाना खेतड़ी पट्टी चन्द्र सिंह, छतु सिंह सम्वत 1999 में पिता शिशपाल पुत्र तेजा को कौम चमार साकिन पिपली खुद खातेदार काश्तकार था। वादी के पिता के फौत होने पर वादी के नाम भूमि मुतनाजा का फौती इन्तकाल भरा गया जो जमाबन्दी सम्वत 2018,2022,2026 से 2029 तक राजस्व रिकार्ड में नाम अंकित है। सम्वत 2012 से पहले वादी का पिता खातेदार काश्तकार काबिज था। वादी शिशपाल की जायन्दा सन्तान है इसलिए वादी को स्वर्गीय शीशपाल का पुत्र मानने से इनकार नहीं किया जा सकता । विवादित भूमि वादी की खानदानी सम्पती है । वादी शीशपाल की धर्मज संन्तान है । पहले वादी अपने पिता के साथ भूमि मुतनाजा को काश्त करता था । प्रतिवादी न0 1 का गोदनामा बना बरोज भी वादी भूमि मुतनाजा पर काबिज था आज भी वादी का कब्जा काश्त है [illegible] न0 1 का नाम राजस्व रिकार्ड में मुतबना पुत्र सनगारी बेवा हरजी व पुत्र नन्दलाल जाति [illegible] होने से वादी के कब्जे में दखलन्दाजी कर रहा है। गोद पत्र वादी के विरूद्व अवैध गैर कानूनी एवं प्रारम्भ से प्रभाव शून्य है। वादी की पैतृक सम्पती होना दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित है ।

वादी जमीन जायदाद जैरे बहस का खातेदार कृषक है तथा अनुसुचित जाति का सदस्य है । वादी ने किसी भी विक्रय पत्र व गोद नामा से भूमि अन्तरित नहीं की है। प्रतिवादी स्वर्ण

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

जाति से है तथा आर्थिक रूप से सम्पन्न है । सम्वत 2032–33 में प्रतिवादी ने वादी की भूमि को 2 वर्ष के लिए बटाई पर काश्त की थी इसलिए व सनगारी बेवा हरजी के गोद गया ताकि भूमि मुतनाजा को अपने नाम करवा सकें। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 को विफल करने का उदेश्य था वादी जाति से चमार है व अनुसूचित जाति में आता है। प्रतिवादी जाट है स्वर्ण जाति है जिस दिन प्रतिवादी गोद गया था बरोज जाट था आज भी जाट है उसने कभी भी चमार जाति को ग्रहण किया ना कभी अपनी माता सिनगारी के घर जाकर रहा प्रतिवादी व उसके बच्चे आज भी जाट है। इसलिए सारी कार्यवाही बाला–बाला फर्जी की गई है लिहाजा यह गोदपत्र वादी के खातेदारी अधिकारों के प्रति निरर्थक व शून्य है क्योंकि वादी मृतक शीशपाल की जायन्दा संन्तान है । विवादित भूमि पुस्तेनी है जन्म के दिन से ही अधिकार है । प्रतिवादी के नाम से जमाबन्दी सम्वत 2049 से 2050 से अंकित है उसका हस्तान्तरण प्रतिवादी के नाम धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की अवहेलना है जो शून्य है। प्रतिवादी अतिकर्मी है जो भूमि मुतनाजा पर अपना कब्जा नहीं रख सकता । गोद पत्र के आधार पर भूमि जमाबन्दी में दर्ज हो गई जो वादी के खातेदारी काश्तकारी अधिकारों के प्रति प्रभाव शून्य है। स्वर्ण जाति का व्यक्ति हरिजन के गोद जाना कानूनी प्रतिबन्ध है। न्यायालय से किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति द्वारा किसी स्वर्ण को गोद लेना शून्य है और कानुन के अधीन इनफोरसीयेबिल नहीं हैं। इससे जाहिर होता है कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की भूमि पर खातेदारी अधिकार दिये है वह प्राप्त नहीं हो सकते । गोदपत्र के आधार पर भरा गया नामान्तरकरण शून्य है । यदि किसी प्रकार भूमि मुतनाजा की बाबत अदालत से डिक्री पारित करा ली हो विधि अनुसार नहीं है एवं अपास्त करवाने योग्य है । वादी को भूमि मुतनाजा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे की वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी ना करें । यही धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मन्शा है गोद पत्र प्रारम्भ से ही शून्य है तो सिविल न्यायालय से निरस्त करवाना आवश्यक नहीं है। वादी की भूमि सम्वत 2065 से 2068 पड़त बतायी है इसलिए वादी की भूमि राजस्व रिकार्ड में सिवायचक घोषित नहीं की जा सकती। यदि गोदपत्र के आधार पर प्रतिवादी ने कब्जा प्राप्त कर लिया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 183(ख) 42(ख) का उल्लंघन है।

वादी दिनांक 01.09.2011 को अपने खेत को ठीक कर रहा था तो प्रतिवादी ने वादी को कहा की यह खेत मेरा है , मै सिनगारी देवी का गोद का पुत्र हुँ । गोदपत्र के आधार पर भूमि मुतनाजा पर अपना अधिकार बताता है। प्रतिवादी ने भूमि मुतनाजा पर कब्जा करने के दर पर है तथा कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। वादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रतिवादी गलत नामान्तरकरण का नाजायज फायदा उठाते हुए अपने आप को विवादित भूमि का मालिक व काबिज जाहीर करते हुए अपने जायज हकूक से महरूम रखते हुए आराजी मुतनाजा को बजरिये बैय रहन, विक्रय करना चाहता है जबकि उसको ऐसा करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। इसलिए वादि को खातेदार घोषित व प्रतिवादी को

Signature Not Verified
Digitally Signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Scanned with CamScanner

बेदखल कर कब्जा दिलाया जावें तथा उसे अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनी मुस्तेहक है। वादी ने दिनांक 03.09.2011 को प्रतिवादी न0 1 से राजस्व रिकार्ड दुरस्त कराने के लिए कहा तो वह इन्कार हो गया इसलिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ । बिनाय दावा मन वादी को प्रतिवादी की इन्कारी व एलाहनिया धमकी से 2 दिन पहले व उसके बाद दिन-प्रतिदिन अन्दर हदूद अदालत हाजा पैदा हुई हैं। मैबेन फरीकेन पहले इस बारे में सिविल सुट टाईटल दुलिया बनाम बीरबल कोई दीवानी वाद पेडिंग नहीं व ना ही फैसला हुआ है। प्रतिवादी गोद होने से यदि सरकार ने आराजी कब्जा सरकार ने लिया है।

वादपत्र पेश कर निवेदन किया है कि चालू वर्ष पड़त बताया है तथा यथावत वादी को भूमि मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावें। उसी के नाम खाते में दर्ज है व पुनः खातेदार घोषित हो । गोद जाने वाला प्रतिवादी स्वर्ण जाति का है जो धारा 42 राजस्थान काश्तकारी का स्पष्ट उल्लघंन है नल एवं वोईड एब इनिशियों व प्रभाव शुन्य है। गोद पत्र खादी के खातेदारी अधिकारों के प्रति अवैद्य घोषित किया जावें।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तारीख की सूचना दी गयी। प्रतिवादीगण बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादी ने मौखिक साक्ष्य में दुलिया वादी का बयान शपथ पत्र पेश किया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी संवत 2065-68 प्रदर्श-1 नकल खतौनी बदोबस्त सम्वत 1998 प्रदर्श-2 नकल जमाबन्दी 2012 प्रदर्श-3 सम्वत 2014-17 प्रदर्श-4 सम्वत 2018-21 प्रदर्श-5 सम्वत 2022-25 प्रदर्श -6 सम्वत 2026-29 प्रदर्श-7 सम्वत 2030-33 प्रदर्श-8 सम्वत 2049-52 प्रदर्श-9 प्रमाण पत्र सरपंच ग्राम पंचायत पीपली प्रदर्श-10 खसरा गिरदावरी सम्वत 2015-18, प्रदर्श-11 सम्वत 2027-30 प्रदर्श-12 सम्वत 2012-15, प्रदर्श-13 सम्वत 2020-23, प्रदर्श-16 पेश किये इसके पश्चात बहस वाद सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजात से विवादित आराजियात खातेदारी काश्त की भूमि रही है परन्तु नामान्तरकरण संख्या 552 के मुताबिक विवादित भूमि खसरा नं. 236 वाके मौजा पीपली की खातेदारी मुताबिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2006 से बलबीर पुत्र नन्दलाल दत्तक पुत्र श्रीमती सिंनगारी बेवा हरजी कोम मेघवंशी सा0 दूदी से हजफ कर राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज की गयी है। विवादित आराजियात सरकारी भूमि होने से पुनः वादीगण को खातेदारी अधिकार दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः वाद वादीगण खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 16:02:58 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी(अभिलाषा)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

Scanned with CamScanner